

4

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल-191/2023- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

स्वास्थ्य विभाग के पत्राक-205(3), दिनांक-09.04.2025 के आलोक में डा० निभा मोहन, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, दानापुर, पटना द्वारा विदेश यात्रा हेतु दिनांक-16.04.2025 से 27.04.2025 तक कुल-12 (बारह) दिन उपभोगित अवकाश को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-788(25) दिनांक-09.04.2025 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम 230 के आलोक में उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-
(शैलेश कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2/एल-191/2023- 1460(2) पटना, दिनांक 20/8/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एव हक०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, दानापुर, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० निभा मोहन, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, दानापुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव।